



2026:AHC:56482

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 11016 वर्ष 2026

जुगनू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता : देवी दयाल

विपक्षी गण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ; राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, केस संख्या 11007 वर्ष 2016 (सत्य प्रकाश बनाम जुगनू), अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थाना सदर बाजार, जिला आगरा की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने हेतु दायर किया गया है, जो ए.सी.-प्रथम, आगरा के न्यायालय में लंबित है।
3. मामले के तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट-V, आगरा के न्यायालय में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और दस्तावेजी साक्ष्य लेने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत तलब (सम्मन) किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा भेजा गया कोई भी सम्मन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सम्मन आदेश बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित किया गया है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।
6. विवादित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों को देखने के बाद उक्त आदेश पारित किया है। विवादित आदेश न्यायसंगत और उचित है और इसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। आदेश-तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों की जांच की जा रही है और विचारण प्रगति पर है। संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान और सम्मन रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों पर आधारित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच इस स्तर पर नहीं की जा सकती। इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल एवं अन्य', 2025 एससीसी आनलाइन एससी 2897 में निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. 'भारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र एवं अन्य' में, इस न्यायालय ने माना कि यह धारणा बनाई जानी चाहिए कि चेक के धारक को धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त हुआ था, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए और इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाही के शुरुआती चरण में अभियुक्त की दलील को स्वीकार करना और शिकायत को रद्द करना उचित नहीं था।

15. इसी प्रकार, 'रंगप्पा बनाम श्री मोहन' में, यह माना गया कि एन.आई. एक्ट की धारा 139 द्वारा अनिवार्य धारणा में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि ऐसी धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को विचारण में अपना बचाव प्रस्तुत करना चाहिए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. 'राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य' में यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं करना चाहिए कि प्रश्नगत चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था या नहीं, क्योंकि यह तथ्यों का एक विवादास्पद प्रश्न है। विशेषकर तब, जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 चेक के ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किए जाने के संबंध में एक वैधानिक धारणा उत्पन्न करती है।

17. 'रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)' में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत एक कानूनी धारणा मौजूद है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए विचारण-पूर्व चरण में तथ्य के विवादास्पद प्रश्न पर विस्तृत पूछताछ करना उचित नहीं होगा। निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे उद्धृत हैं:

"17. ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट करता है कि अदालत को विचारण-पूर्व चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमी गति अपनानी चाहिए, विशेष रूप से तब जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में कानूनी धारणा के कारण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिना किसी साक्ष्य के तथ्यात्मक बचाव की गुणवत्ता इतनी अचूक होनी चाहिए, जिससे शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।

18. विचारण-पूर्व चरण में आपराधिक प्रक्रिया को रोकने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने का परिणाम पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अंतिम निर्णय के रूप में होगा, और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच, यानी ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय), भौतिक साक्ष्यों को तौलने से वंचित रह जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सकता है। साथ ही, कानूनी धारणा के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस चरण में सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त के पास विचारण के दौरान धारणा का खंडन करने के लिए बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता को सम्मन आदेश के स्तर पर ही वाद से बाहर करना, जबकि तथ्यात्मक विवाद पर अभी ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना बाकी है, हमारी राय में न्यायसंगत नहीं होगा। प्रथम दृष्टया प्रभाव के आधार पर, यहाँ आपराधिकता के तत्व को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जो ट्रायल कोर्ट के निर्धारण के अधीन है। इसलिए, जब कार्यवाही शुरूआती चरण में हो, तो आपराधिक प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।”

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय पैराग्राफ 13 और 18 में यह टिप्पणी की है:

“13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में यह परीक्षण करना शुरू कर दिया कि क्या चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारी राय में, ऐसा अभ्यास अनुचित था क्योंकि एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत यह धारणा है कि चेक प्राप्त करने वाले को धारा 138 में उल्लिखित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त हुआ था। इस धारणा को विचारण में पेश किए गए साक्ष्यों द्वारा खंडित किया जा सकता है। विशेष रूप से, उक्त मुद्दे का निर्णय उचित रूप से या तो विचारण के समय, या बाद में विचारण की समाप्ति पर, अपीलीय/पुनरीक्षण अदालत द्वारा किया जा सकता है।”

“18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. एक्ट की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने विचारण-पूर्व चरण में चेक के ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी होने के संबंध में विस्तृत जांच करके त्रुटि की है। हमारी राय में, संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा अभ्यास उचित नहीं था, विशेष रूप से तब जब शिकायत के आरोपों से यह पता चलता था कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि शिकायत के आरोपों से प्रथम दृष्टया एन.आई. एक्ट की धारा 138 की आवश्यक सामग्री की पूर्ति होती है, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा विचारण-पूर्व चरण में न तो सम्मन आदेश और न ही शिकायत को रद्द किया जा सकता था।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

के.जे.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।